फर्द अहकाम

रूद्रा बनाम दुर्गा

नाम न्यायालय जोइन्टेट

(2022/387)

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/3/23	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उप०। प्रतिवादी सं. 27 के अधिवक्ता उप०। सरकार पैरोकार द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि वाद पत्र में अंकित खसरा नं. 274 के वर्तमान में अनेक खसरा नम्बरों में विभक्त हो चुका है तथा पक्षकारान के नाम हिस्सा अलहदा-अलहदा दर्ज किया जा चुका है। प्रकरण के दिनांक 25/11/2020 को तनकीह कायम की जाकर साक्ष्य वादी के लिए अवसर दिया गया। दिनांक 21/5/2022 को न्यायहित में साक्ष्य वादी हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इसके पश्चात पुनः दिनांक 19/12/22 को न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 25/11/2020 को तनकीह कायम की जाने के पश्चात पर्याप्त अवसर दिए जाने बावजूद भी आदिनांक तक वादी ने साक्ष्य पेश नहीं की। वाद प्रस्तुतीकरण की दिनांक को आराजी खसरा नं. 274 का रकबा 36 बीघा 2 बिस्वा था जो वर्तमान में अनेक खसरा नम्बरों में विभक्त हो गया है। यह विभाजन वादी की सहमति एवं संज्ञान के अभाव में संभव नहीं है। वादी का यह दायित्व है कि वह न्यायालय को सम्पूर्ण बदली/परिवर्तित परिस्थितियों से अवगत करवाये। वादी द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही न्यायालय के समक्ष नहीं की गई है। इससे वादी का न्यायालय को मुगालते में रखते हुए निर्णय पारित कराने का दुर्भावपूर्ण आशय स्पष्ट होता है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। आज भी वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को रुक-रुक कर बार-बार आवाजें लगवाई गई। वादी एवं उनके	

फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या ...र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे...
...3/23	अधिवक्ता वादी अनुपस्थित है वादी का वाद आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर निकाल होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/3/23	